

फार्म

‘प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस रोवा का नाम, जिसमें वह हो दिनेश सैनी 2. वर्तमान धारित पद वहान चालक
3. वर्तमान वेतन 35300/- म.भत्ता 1765/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2018

उस जिले, उप रामगंग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया “खरीदा, पट्टा, बहाफ़, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अंजन की तरीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अग्रियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
म.न. 359, मानसरोवर नगर, ग्राम देवगुराड़िया, इन्दौर	गृह	—	लगभग 16 लाख	पत्नि के नाम	गृह फायर्नेंस लि. इन्दौर से ऋण, सामान्य भविष्य निधि बचत से।	—	—

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे गामले में जहाँ गूल्य का राही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग गूल्य घतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम-1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक राजस्व से यह अप्रेषित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के रामगंग और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की उमधि के पश्चात् यह धोपणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उराके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उराके अपने नाम पर या उराके परिदार के किरी राजस्व के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उराके द्वारा धारित रामरत अचल सम्पत्ति के व्यौरे दे।

हस्ताक्षर

दिनेश सैनी

नाम :

वाहन चालक

पद :

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
इन्दौर - (म0प्र0)